

प्रवेश सम्बन्धी नियम

प्रवेशार्थी प्रवेश लेने से पूर्व सम्बन्धी नियम, विभिन्न निर्देश एवं इस विवरणिका का विस्तृत अध्ययन कर लें।

1. महाविद्यालय में सभी कक्षाओं में प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली के अनुसार ही किये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली द्वारा प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जायेगी। प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त महाविद्यालय में अपने पंजीकरण के प्रिंट आउट की छायाप्रति एवं उसकी सारी रिक्त प्रविष्टियों को स्वयं भरकर समस्त अंकतालिका एवं समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर जमा करना होगा। महाविद्यालय में अपनी योग्यता सूची तैयार कर विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
3. महाविद्यालय के प्रत्येक डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश योग्यता (मेरिट) के अनुसार किया जायेगा।
4. स्नातक भाग-1 में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमन्य नहीं है। अन्तराल की स्थिति में शपथ पत्र लगाना आवश्यक है।
5. ऐसे प्रवेशार्थी जो अनुशासनहीनता में संलग्न रहें हो, जिनका आचरण असन्तोषजनक या संदिग्ध रहा हो, अनुचित साधनों का परीक्षा में प्रयोग करते पाये गये हों या जिनके विरुद्ध न्यायालय में दण्डनीय अभियोग चल रहा हो या जिन्हें दण्डनीय अपराध में सजा दी जा चुकी हो को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई प्रवेशार्थी मिथ्या वर्णन, तथ्यों को छिपाकर या त्रुटिवश प्रवेश पा लेता है तो भविष्य में उसके प्रवेश को कभी भी निरस्त किया जा सकता है और उसके लिए कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश समिति की संस्तुति के आधार पर समस्त प्रवेश स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्राचार्य को होगा जो अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

-: महाविद्यालय में स्वीकृत संकायवार सीटों का विवरण :-

• B.A.	-	420	• B.Sc.(ZBC)	-	60
• B.Com	-	120	• B.Sc.(PCM)	-	60

आरक्षण एवं मैरिट

(विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली एवं 30प्र0 शासन के नियमानुसार)

भारांक

विश्वविद्यालय के नियमानुसार

प्रवेश हेतु तैयार की गई मैरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे। परन्तु ऐसी स्थिति में किसी भी विद्यार्थी को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे।

क.	राष्ट्रीय अथवा अन्तर्विश्वविद्यालय खेलकूद में भागीदारी	10 अंक
ख.	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
ग.	विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
	(1) एन.सी.सी. के 'बी', 'सी' सर्टिफिकेट अथवा 'जी-II' सर्टिफिकेट	10 अंक
	(2) 'बी' और 'जी' प्रथम सर्टिफिकेट के लिए	05 अंक
	(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के 02 शिविर पूर्ण करने पर तथा 240 घंटे पूर्ण सेवार्यें	10 अंक
	(4) राष्ट्रीय सेवा योजना के 01 शिविर तथा 240 घंटे की सेवार्यें	05 अंक
	(5) 12 वीं कक्षा स्तर पर स्काउट गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 0	5 अंक
	(6) प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(7) भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
घ.	रोवर्स-रेजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

महाविद्यालय में संचालित विषय

कला संकाय-
अनिवार्य विषय-
वैकल्पिक विषय-

सामान्य अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में से एक ही चयन करना है।
हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान व समाजशास्त्र इन विषयों में से किन्हीं तीन का चयन करना होगा, तीन साहित्य एक साथ नहीं लिये जा सकते। हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू साहित्य में से दो लिये जा सकते हैं।

विज्ञान संकाय-

गणित वर्ग

- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

बायो वर्ग

- रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान।
उपर्युक्त किसी भी वर्ग के तीनों विषय अनिवार्य हैं।

वाणिज्य संकाय

- विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित सभी ग्रुप।

नोट :

01. कला संकाय में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष में एक अनिवार्य विषय व तीन वैकल्पिक विषय अर्थात् कुल चार विषयों का अध्ययन करना होगा। वी.ए. भाग-3 में प्रवेशार्थी को द्वितीय वर्ष के तीन वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं दो का चयन उक्त कक्षा की प्रवेश-समिति के निर्देशानुसार करना होगा।
02. जिस प्रवेशार्थी ने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी साहित्य का अध्ययन नहीं किया है उसे हिन्दी भाषा विषय लेना अनिवार्य होगा।
03. पर्यावरण विषय का प्रश्न-पत्र अभ्यर्थी को स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वि.वि. के नियमानुसार किसी एक वर्ष में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा से स्नातक की उपाधि निर्गत नहीं की जायेगी।
04. शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विषय स्नातक के तीनों वर्ष में अनिवार्य है।

साक्षात्कार व अनुशासन सम्बन्धी नियम

01. आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रत्येक कक्षा के लिए प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएं (जैसे साक्षात्कार का समय एवं स्थान, श्रेष्ठता सूची/प्रतीक्षा सूची आदि सूचनायें) यथा समय महाविद्यालय के सूचनापट पर लगायी जायेगी एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
02. समय से सही सूचना प्राप्त करना प्रवेशार्थी का स्वयं का दायित्व होगा। इस संबंध में अन्य प्रकार से सूचना नहीं दी जायेगी।
03. साक्षात्कार के समय प्रवेशार्थी को स्वयं व माता/पिता/अभिभावक (यदि माता-पिता जीवित न हों) का उपस्थिति होना अनिवार्य है।
04. साक्षात्कार के समय सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रवेश समिति के सनक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
05. प्रवेश संस्तुत हो जाने पर तुरन्त शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त हो जायेगा।
06. प्रवेश के उपरान्त छात्राओं का महाविद्यालय के अनुशासन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
07. प्रत्येक सत्र के लिए नया परिचय-पत्र बनवाकर, महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने साथ रखना अनिवार्य है।

- 08 महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध है।
- 09 रैगिंग अनुशासनहीनता की श्रेणी में हैं। इनमें लिफ्ट पाए जाने वाली छात्राओं का प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
- 10 महाविद्यालय में सिगरेट/पान/गुटखा/पान मसाला/नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है।

आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश

- 01 महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना तथा निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
- 02 एक पाठ्यक्रम के लिए भरा गया आवेदन-पत्र केवल उसी पाठ्यक्रम के लिए मान्य होगा। किसी भी दशा में आवेदन-पत्र अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
- 03 स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा-
- (क) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किये गये स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति।
- (ख) हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति।
- (ग) सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक-पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति।
- (घ) अन्तिम संस्थागत शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (ङ) पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को एक अतिरिक्त चरित्र प्रमाण-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी/संसद सदस्य/विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा।
- (च) अन्तिम संस्थागत शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति।
- (छ) अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वतंत्रता सेनानी/सुरक्षा सेवा के वार्ड/अपंग/एन.सी.सी./खेल आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति।
- (ज) एस.आर. पंजीकरण फार्म हेतु विवरण पत्र।
- (झ) प्रवेशार्थी के पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो चस्पा किये जाए।
- (ञ) माता/पिता अथवा अभिभावक का फोटो आवेदन-पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाना आवश्यक है।
- (ट) आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छायाप्रति।
- 04 स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी जिन्होंने गत वर्ष की परीक्षा इसी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करें-
- (क) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा के अंक-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति जिस पर प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर हों।
- (ख) अनुशासन मण्डल हेतु विवरण-प्रपत्र।

नोट- स्नातक भाग-1 में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी ही एस.आर. पत्र भरें। भाग-2 व 3 के प्रवेशार्थी को एस.आर पंजीकरण फार्म नहीं भरना है।